



विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
सीतापुर ज़ोन, सीतापुर

दिनांक: 27/07/2023

संख्या: 24VSNOC02025876 वि०सु०/मध्यम विभव/एच०टी०/निरीक्षण, 2023-24

**SMT. SUNITA DEVI W/O SHRI MITHLESH KUMAR, VPO-PADARKHA, BLOCK-AILIYA,
SITAPUR**

विषय :- विद्युतीय अधिष्ठापनों का निरीक्षण/परीक्षण।

प्रसंग :- आप का आवेदन पत्र संख्या VS2376300 दिनांक 25/07/2023

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित विद्युतीय अधिष्ठापन (6 कि०वाट/के०वी०ए०/हा०पा० लोड) का निरीक्षण/परीक्षण इस कार्यालय के प्रतिनिधि श्री SURENDRA KUMAR CHAURASIA विद्युत सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26/07/2023 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिलेटेड टू सेपटी एण्ड इलेक्ट्रिक सर्प्लाइ) रेगुलेशन 2010 के सुसंगत विनियमों का पालन करता हुआ पाया गया। अधिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुये पुनः निरीक्षण कराया जाये।

भवदीय,

AJAY PAL SINGH

सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, 30प्र० शासन,
सीतापुर

संख्या: 24VSNOC02025876वि०सु०/मध्यम विभव/एच०टी०/निरीक्षण, 2023-24,तदिनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशासी अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड, सीतापुर।

उपनिदेशक, विद्युतसुरक्षा, 30प्र० शासन लखनऊ रीजन।



भवदीय,

AJAY PAL SINGH

सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, 30प्र० शासन,
सीतापुर

www.vidyutsuraksha.org से सत्यापित करने के पश्चात ही संयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।

नोट :- यह एन ओ सी केवल 3 वर्ष तक मान्य है। 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से एक माह पूर्व आप अपने अधिष्ठापन के नियतकालिक निरीक्षण हेतु विद्युत् सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट <https://www.vidyutsuraksha.org/> पर आवेदन करें। यदि आप द्वारा समय से नियतकालिक निरीक्षण नहीं कराया जाता है तो विद्युत् अधिनियम 2003 की धारा -146 के अंतर्गत तीन माह तक का कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंडनीय होगा।

THIS NOC IS GENERATED THROUGH E-SIGNATURE.